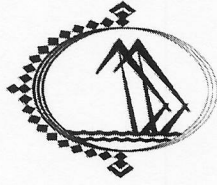


दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण



स्थापना अनुभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रशासनिक कार्यालय भवन
गाँधीधाम

सं. : जीए/पीएस/3508-1/ 1200

दिनांक : 15-07-2025

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों को प्रभागीय लेखाकार के पद पर रु. 32500-83800/- (पुनरीक्षित रु. 45800-121300) के वेतनमान में, तत्काल प्रभाव से, नियमित आधार पर, पदोन्नत किया जाता है तथा आगे की तैनाती वित्त विभाग से तैनात किया जाता है: -

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम
1.	श्री विनोदचंद्र मोतीलाल शाह, सहायक, सिविल अभियांत्रिकी विभाग
2.	श्रीमती संतोष बी. रायकोहड़, सहायक, वित्त विभाग
3.	श्री मनोज आर. मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक, वित्त विभाग
4.	श्री सी. जगाजयन, वरिष्ठ लिपिक, अपटल तेल टर्मिनल, वाडीनार
5.	श्रीमती शैलजा महेश नायर, वरिष्ठ लिपिक, सिविल अभियांत्रिकी विभाग
6.	श्री अनुभव कुमार गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग

- उनका वेतन लागू सामान्य नियमों के तहत, मंत्रालय के पत्र सं.:सी-13019/33/2020-पीई-11 दिनांक 01 जुलाई 2022 के माध्यम से प्राप्त तत्संबंधी निर्देश, यदि लागू हो, के अधीन तय किया जाएगा।
- वे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009, के अधीन रहेंगे।
- उनकी सेवा संबंधी अन्य शर्तें, लागू सुसंगत नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी।
- उन्हें मूल नियमावली 22(1)(क) (1) में तथा उपबंधित वेतन के नियतन से संबंधित अपना विकल्प इस आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर देना होगा। अगर एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत उन्हें वेतन नियतन का लाभ मिल चुका है तो उस परिस्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी।
- उन्हें सात (7) दिनों के अन्दर तैनाती के स्थान पर हाजिर होना होगा अन्यथा उनकी पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी तथा वे एक साल तक पदोन्नति की हकदार नहीं रहेंगे।
- उपरोक्त पदोन्नति को स्वीकार न करने पर तथा लिखित में उपयुक्त कारण न देने पर इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 26.12.2011 के परिपत्र सं. : जीए/पीएस/9332(पार्ट)/329 और दिनांक 19.5.2014 के परिपत्र सं.:जीए/पीएस/9350/946 के तहत प्रशासनिक प्रक्रिया (1) से (5) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इनकी वरिष्ठता श्री शिवा कुमार गंगा के मुहरबंद लिफाफे में रखी कार्यवाही के परिणाम के अधीन रहेगी।

(प्राधिकार : ई-फाईल सं.909 में टिप्पणी सं.142 पर दिनांक 15-07-2025 सचिव महोदय के अनुमोदन से)


सचिव

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

प्रति:

- श्री विनोदचंद्र एम. शाह, सहायक, का.सं.50000301, सिविल अभियांत्रिकी विभाग - (मुख्य अभियंता के माध्यम से)
- श्रीमती संतोष बी. रायकोहड़, सहायक, का.सं.50000217, वित्त विभाग - (वि.स.एवं मु.ले.अधिकारी के माध्यम से)

3. श्री मनोज आर. मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक, का.सं.50001664, वित्त विभाग - (वि.स.एवं मु.ले.अधिकारी के माध्यम से)
4. श्री सी. जगाजयन, वरिष्ठ लिपिक, का.सं.55555651, अ.ते.ट., वाडीनार - (मुख्य प्रचालन प्रबंधक के माध्यम से)
5. श्रीमती शैलजा एम. नायर, वरिष्ठ लिपिक, का.सं.50001041, सिविल अभियांत्रिकी विभाग - (मुख्य अभियंता के माध्यम से)
6. श्री अनुभव कुमार गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक, का.सं.50001422, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग - (मुख्य यांत्रिक अभियंता के माध्यम से)

प्रतिलिपि :

- (1) वि.स.एवं मु.ले.अधिकारी/मुख्य प्रचालन प्रबंधक/मुख्य अभियंता/मुख्य यांत्रिक अभियंता - सूचना एवं कार्यमुक्त एवं ड्यूटी रिपोर्ट भेजने आदि से संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु
- (2) लेखा अधिकारी (देय), गांधीधाम
- (3) टीम लीडर (आईटी) - डीपीटी की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
- (4) सा.प्र.विभाग - संबंधित लिपिक/डीपीसी फाईल/मास्टर फाईल/एचसीएम प्रकोष्ठ
- (5) उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / आवासीय लेखापरीक्षा अधिकारी - सूचनार्थ